

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 214/2024 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाईनेन्सर (इण्डिया) लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय-10-ए,
धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती बाला कंवर पत्नी श्री नाथू सिंह,
पता- 46, प्रेम नगर, रोड़ नम्बर 17, वीकेआई एरिया, जयपुर।
अन्य पता- प्लॉट नम्बर 46, प्रेमनगर रोड़, रोड़ नम्बर 17, आकेड़ा डूंगर, आमेर, जयपुर।
2. श्री रामबीर सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह,
प्लॉट नम्बर 46, प्रेमनगर रोड़, रोड़ नम्बर 17, आकेड़ा डूंगर, आमेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002.

स्थिति:- श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 22.11.2024

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.02.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती बाला कंवर के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 46, प्रेमनगर, विश्वकर्मा रोड़ नम्बर 17, आकेड़ा डूंगर, आमेर, जयपुर, क्षेत्रफल 166.6 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 08,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 08,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



निगमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गज ब्याज कुल 08,47,410/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.07.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था को पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रस्तुत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र रवीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती बाला कंवर के स्वागित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नम्बर 48, प्रेमनगर, विश्वकर्मा रोड नम्बर 17, आकोड़ा जूंगल, आगेर, जयपुर।, क्षेत्रफल 168.8 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिगे सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त संपत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को प्रदान करने का आदेश दिया जाये। संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट गिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थी को भेजा जाये। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश अर्ज दिनांक 22.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलाक्टर) जयपुर (ग्रामीण)